न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमडेगा

[illegible] प्रोफॉर्मा सं० ५६५ । [illegible] सं० ५०८ ।

Notice upload 22-2-2018

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

([illegible])

[illegible] विभाग

[illegible] SAR- 58/2010-011 रजिस्टर सं०

शनीचार पहान [illegible] बनाम तिलक गोप

प्रतिवादी

[illegible] 8886 [illegible] वर्ष [illegible] के अधीन

[illegible] अभिलेखागार में [illegible] की तिथि

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	अनुक्रिया
१	२	३	४	५	६	७
			10/3/2021 19-05-2021 1-9-2021	19. 7-8-17 25-9-17 15-12-17 22-4-20		14-6-17 19-7-17 21-8-17 13-9-17 18-10-17 29-11-17 10-1-18 7-2-18 14-3-18 18-4-18 30-5-18 11-7-18 9-1-19 13-2-019 13-3-019 19-6-19 08/02/2021

Scanned by CamScanner

आदेश–पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0................................से ....शनिचर.......तक पाहन
जिला–सिमडेगा, संख्या............58/2010-11.....
केस का प्रकारः– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम
तिलक गोप

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	श्री......शनिचर पाहन...... पिता......स्व0 कुंवार पाहन...... साकिन......कोलेबिरा पाहन टोली......थाना......कोलेबिरा। जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी......तिलक गोप...... पिता स्व0 लहरू गोप...... साकिन–कोलेबिरा कुम्हार टोली......थाना......कोलेबिरा...... जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	26.6.10 22.5.17 14-6-17

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
कोलेबिरा	228	1355	0.78 ए0 में से 0.03 ए0

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक......19-7-2010......

को उपस्थापित करें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

Scanned by CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं०–एस0ए0आर0 58 / 2010–11
दिनांक.....

शनिचर पाहन
बनाम
तिलक गोप

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक शनिचर पाहन, पिता–स्व0 सुकरू पाहन, ग्राम–कोलेबिरा पाहन टोली, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी तिलक गोप, पिता–स्व0 बहरू गोप, ग्राम–कोलेबिरा पुजारटोली, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–58 / 2010–11 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कोलेबिरा	228	1355	0.78 एकड़ में से 0.03 डी0

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए इस न्यायालय के पत्रांक 235(ii) / विधि, दिनांक 26.06.2010 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि के आलोक में अंचल अधिकारी, कोलेबिरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। उभय पक्षों को वाद की सुनवाई हेतु थाना प्रभारी, कोलेबिरा को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत के उपरांत तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। वाद की सुनवाई के क्रम में पुनः न्यायालय के पत्रांक 139(ii) / विधि, दिनांक 12.04.2017 द्वारा थाना प्रभारी, कोलेबिरा को तामिला हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के उपरांत उभय पक्षों के द्वारा वकालतनामा के साथ न्यायालय में हाजरी पड़ी। साथ ही अभिलेख के अनुसार उभय पक्ष दिनांक 21.08.2017 से 19.05.2021 तक लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–58 / 2010–11 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.02.07 16:11:35 +05:30
Location: 192.168.0.105

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner